न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 174 / 2024

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
मृतक भगाराम पुत्र नेनाराम के का0मु0 पानकी पत्नि भगाराम जाति मेघवाल निवासी सिंगपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाल लाल सांखला, श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 12/05/2025

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सिंगपुरा, पटवार हल्का करमावास, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता सं0 244 खसरा नंबर 41 रकबा 2.1700 है0 की कृषि भूमि में वादी के पति भगा पुत्र नैना की आंवटनसुदा, कब्जासुदा, खातेदारीसुदा कृषि भूमि थी। वादीया के पति अनपढ थे। वादीया के पति का नाम भगा पुत्र नेना है। इसी नाम से गांव में इनको जानते पहचानते व पुकारते थे। उक्त कृषि भूमि वादीया के पति भगा पुत्र नेना जाति मेघवाल को दिनांक 26.06.1986 को आवंटन कमेठी उप जिलाधीश महोदय कैम्प करमावास द्वारा एलोटमेन्ट की गई थी, जिसमें एलोटमेन्ट सनद में वादीया के पति का नाम भगा पुत्र नेना नाम दर्ज किया हुआ है। नामान्तरण संख्या 95 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा नामान्तरण भगा पुत्र नेना मेघवाल गैर खातेदार के नाम से नामान्तरण भरा गया है। आवंटन कमेठी की सिफारिश में भी भगा पुत्र नेना जाति मेघवाल नाम इन्द्राज किया हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि में दौराने चौसाला जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा पेन ऑफ स्लीप भगा पुत्र नेना की जगह मगा पुत्र नेना इन्द्राज कर दिया है, जो इन्द्राज गलत हुआ है। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि मगा पुत्र नेना के नाम से कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में वादीया के पति भगा पुत्र नेना ही सही व्यक्ति है, जिसके नाम वादग्रस्त कृषि भूमि भगा पुत्र नेना के नाम से आवंटित हुई है। वादीया के पति भगा पुत्र नेना के नाम से ग्राम सिंगपुरा में चुनाव पहचान पत्र संख्या RJ / 21 / 160 / 105407 का बना हुआ है। वादीया के पति को ग्राम सिंगपुरा में एक आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 24.04.1988 को पट्टा संख्या 192 ग्राम पंचायत करमावास पट्टा द्वारा जारी किया हुआ है, जिसमें भी भगाराम पिता नेनाराम जाति मेघवाल इन्द्राजसुदा है। वादीया के पति भगाराम की मृत्यु दिनांक 27.03.1999 को ग्राम सिंगपुरा में मृत्यु हो चुकी है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र में भगाराम पुत्र नेनाराम के नाम से जन्म मृत्यु रजिस्टार ग्राम पंचायत कलां रायरा द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर 08118005990010300036 / 2019 का दिनांक 09.12.2019 जारीसुदा है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया के पति का नाम भगाराम के स्थान पर मगाराम दर्ज होने से वादीया को नामान्तरण दर्ज करवाने, सरकारी योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने, किसान कार्ड बनाने व अन्य प्रकार से उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण आदि करने में भारी परेशानी व कठिनाई

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

असुविधा हो रही है। इस कारण उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीया अपने पति का नाम मगा पुत्र नेना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराम दर्ज करवाने हेतु घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री प्रदान करावे कि उक्त वर्णित आराजीयात कृषि जोत की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया के पति का नाम मगा पुत्र नेना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराम का नाम घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकर्ड में वादीया का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम सिंगपुरा में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 05 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 06 से 11 कानूनी होना अंकित किया हैं।

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर /2025/616 दिनांक 12.05.2025 के जरिये निवेदन किया कि दिनांक 26.06.1986 को आवंटन कमेटी की सिफारिश अनुसार ग्राम सिंगपुरा के ख0नं0 41 रकबा 2.1700 है0 भूमि भगा पुत्र नैना जाति मेगवाल को आवंटन की सिफारिश की गई। जिसका नामा0 सं0 95 फैसल दिनांक 09.01.1987 भरा गया, जिसमें नामा0 कॉलम सं0 11 में मगा पुत्र नेना जाति मेगवाल गैर खातेदार दर्ज किया गया। नामा0 सं0 360 से मगा पुत्र नेना को 10 वर्ष काबिज काश्त रहने से दिनांक 18.06.1998 को खातेदारी प्रदान की गई। जो कि वर्तमान में भी मगा पुत्र नेना ही दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा बिना नाम शुद्ध करवाये तथ्य छुपाकर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त कर ली। वादस्थ भूमि पर भगा पुत्र नेना मेगवाल एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् पत्नी पानकी द्वारा काश्त किया जाता हैं। की, रिपोर्ट पेश की। जो की सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सिंगपुरा, पटवार हल्का करमावास, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता सं0 244 खसरा नंबर 41 रकबा 2.1700 है0 की कृषि भूमि में वादीया के पति भगा पुत्र नैना की आंवटनसुदा, कब्जासुदा, खातेदारीसुदा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया के पति का नाम मगा पुत्र नेना दर्जसुदा हैं, जबकि वादीया के पति का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भगा पुत्र नेना हैं। जिससे वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज मगा पुत्र नेना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराभ के नाम खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार दुरूस्त इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में प्रस्तुत करमावास कैम्प दिनांक 26.06.86 की आंवटन आदेश प्रति में भगा पुत्र नैना जाति मेघवाल दर्जसुदा हैं। वादीया के पति के अन्य दस्तावेज यथा निर्वाचन विभाग का पहचान पत्र संख्या RJ/21/160/105407, मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर 0811800599001030036/2019 दिनांक 09.12.2019, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

पंचायत करमावास पट्टा द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 24.04.88 इत्यादि में भगा पुत्र नैना दर्जशुदा हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट में भी मौके पर भगा पुत्र नेना मेगवाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि पानकी पत्नि भगाराम द्वारा काश्त किया जाना अंकित गया हैं। जिससे यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि भगा पुत्र नेना जाति मेगवाल को आवंटित की गई थी, लेकिन नामा0 सं0 95 दिनांक 09.01.87 भरते वक्त मगा पुत्र नेना दर्ज कर दिया गया, जो पश्चातवर्ती जमाबंदी में मगा पुत्र नेना के नाम से खातेदारी चली आ रही हैं। मौके पर भगा पुत्र नेना तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् पानकी पत्नि भगाराम ही काबित काश्त हैं। लिहाजा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मगा पुत्र नेना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सिंगपुरा, पटवार हल्का करमावास, भू—अभिलेख निरक्षण क्षेत्र गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता सं0 244 खसरा नंबर 41 रकबा 2.1700 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मगा पुत्र नैना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
मृतक भगाराम पुत्र नेनाराम के का0मु0 पानकी पत्नि भगाराम जाति मेघवाल निवासी सिंगपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 174 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गोपाल लाल सांखला, श्री विनोद वैष्णव अधिवक्तागण वादीया तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम सिंगपुरा, पटवार हल्का करमावास, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता सं0 244 खसरा नंबर 41 रकबा 2.1700 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मगा पुत्र नैना के स्थान पर भगाराम पुत्र नेनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/05/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)
सहायक कलक्टर, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.